रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
लखनऊ, शनिवार, 22 दिसम्बर, 2001
पौष 1, 1923 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबंधन अनुभाग-5
संखया क0नि0-5-7810/11-2001-312 (43)-91 टी0सी0
लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2001

अधिसूचना

प0आ0 775

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचना का आंशिक उपान्तर करके जिला संत रविदास नगर के उप-जिला ज्ञानपुर और भदोही की सीमाओं का परिवर्तन करके जिला संत रविदास नगर में एक नया उप-जिला औराई का सृजनकरते हैं और उप-जिला औराई, ज्ञानपुर और भदोही की निम्न अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सामने यथा दर्शित सीमाएं विहित करते हैं ।

2- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्यपाल अग्रेतर उप-जिला औराई में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित करते हैं ।

3- यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रस्तुत होगी ।

<u>अनुसूची</u>

क्रम सं0	उपजिला का नाम	उप जिले की सीमाएं
1	2	3
1	औराई	औराई की राजस्व तहसील
2	ज्ञानपुर	ज्ञानपुर की राजस्व तहसील
3	भदोही	भदोही की राजस्व तहसील

आज्ञा से
टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव ।